न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 57/2024 बउनवानी महेशचन्द गर्ग **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी ई–5 केशव नगर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/150

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *हल्का पटवारी छाण का ख0न0 पुराना 876/1/1, 876/1/3, 876/1/4, 876/1/8, खातेदारी भीम सिंह , श्री बाबूलाल गर्ग, रमेशचन्द, सुरेशचन्द, 884 विजय, गोविन्द सिंह, दिलीप सिंह, आदि की जमाबन्दी जिसमे पुराने ख0न0 नये मे बदले गये मिलान सारणी सहित तीन प्रतियों में सूचना*" तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू0अ0/2024/3418 दिनांक 16.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.2024 में चाही गयी सूचना के लिए 78/–रू जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2952 दिनांक 23.10.2024 से अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर अंकित किया कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 2952 दिनांक 23.10.2024 से प्रतिलिपि शुल्क राशि 78/–रू जमा करवाने बाबत लिखा जाना बताया गया है उक्त पत्र आदिनांक तक अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ है। अतः प्रार्थी को नकल दिलवायी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट चाहे तो चाही गयी सूचना हेतु वांछित शुल्क राशि 78/–रू तहसीलदार खण्डार के कार्यालय मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:09 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner